न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 117 / 2022

1 पार्वती पत्नी मदनलाल उम्र 52 साल जाति अहीर निवासी सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
2 मुकेश देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह उम्र 35 साल जाति अहीर निवासी गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रणवीर सिंह पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2 मन्नीदेवी पत्नी भगवानाराम जाति अहीर निवासी सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
3 इन्द्रसिंह पुत्र दीपसिंह निवासी सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
4 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
5 उप पंजीयक उदयपुरवाटी जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
6 हल्का पटवारी ग्राम सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
7 नानची देवी हजारी जाति माली निवासी सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
8 हजारीलाल पुत्र माधुराम सैनी जाति माली निवासी सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय दिनांक 27.07.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी पार्वतीदेवी वगै. बनाम रणवीर सिंह वगै. मु.नं. 248/2021 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री धीरज कुमार बोयल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कुलदीप सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री यतीश सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—29.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 248/2021 में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांटस ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खाता नम्बर वर्तमान के खसरा नम्बर 228 व 229 वाके ग्राम सराय का पेश किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अप्रार्थी नम्बर 7 व 8 के हक में नामान्तकरण दर्ज करने की हद तक स्थगन में छुट प्रदान की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मौजूदा प्रकरण में विवादित जमीन अपीलान्टस की पैतृक जमीन है प्रकरण में पक्षकार अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है तथा भूमि का विभाजन नहीं हुआ है बिना विभाजन के किसी पक्षकार द्वारा भूमि के विशेष भू–भाग को विक्रय नहीं किया जा सकता। जिस पर विचारण न्यायालय ने गौर किये बिना ही अनावेदकगण के विरूद्ध पारित स्थगन आदेश दिनांक 15.09.2021 को अनावेदक 7 व 8 के विरूद्ध बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये व वैकेट किये जाने का आधार दर्ज किये बिना ही विचारण न्यायालय ने स्थगन आदेश को वैकेट किये जाने में कानूनी गलती की है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। विचाराधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को सुना नहीं। विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदक नम्बर 7 व 8 ने दिनांक 07.07.2022 को धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें नानची देवी द्वारा पेश किया गया था परन्तु विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.07.2022 अनावेदक नम्बर 7 व 8 के विरूद्ध स्थगन आदेश वैकेट किये जाने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.07.2022 को अनावेदक नम्बर 7 के विरूद्ध आदेश दिनांक 15.09.2021 का आदेश वैकेट किये जाने का आदेश पारित किया है इसके पश्चात दिनांक 27.07.2022 को पुनः विचारण न्यायालय ने आदेश विचारण न्यायालय ने 07.07.2022 के प्रार्थना पत्र पर पुनः अनावेदक नम्बर 7 व 8 के विरूद्ध स्थगन आदेश दिनांक 15.09. 2021 को वैकेट किये जाने को आदेश पारित किया है एक ही आदेश को दो बार वैकेट किया गया है जो विरूद्ध कानून व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 7 व 8 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांक 09.09.2021 से भूमि क्रय करने पर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करवाने की हद तक स्थगन वैकेट करने का अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से केवल मात्र पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने की हद तक छुट प्रदान की गई थी। इसके आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया जा चुका है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 7 व 8 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2021 से भूमि क्रय करने पर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करवाने की हद तक स्थगन वैकेट करने का अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से केवल मात्र पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने की हद तक छुट प्रदान की गई थी। इसके आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील प्रभावहीन हो चुकी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर